01

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

वजीर मंडल वगै0 बनाम् मेघलाल भुईया वगै0

विविध वाद संख्या –87/2024

U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहिंत

प्रथम पक्षः–

1. वजीर मण्डल, पिता – स्व0 घोकल महतो,
2. जोघलाल मंडल, पिता – स्व0 घोकल महतो,

दोनों साकिन – गोबिन्दपुर, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. मेघलाल भुईयाँ, पिता – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
2. बबुलाल भुईयाँ, पिता – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
3. राजू भुईयाँ, पिता – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
4. नुनुचन्द भुईयाँ, पिता – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
5. छोटेलाल भुईयाँ, पिता – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
6. शांति देवी, पति – स्व0 धानेश्वर भुईयाँ,
7. बबीता देवी, पति – छोटेलाल भुईयाँ,
8. सोनिया देवी, पति – बाबुलाल भुईयाँ,

सभी साकिन – कपिलो, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
कपिलो	59	907	25 डी0 मधे 07 डी0	उ0– सड़क, द0– भीखन सिंह, पु0– मथुरा यादव, प0– जगदीश भुईयाँ।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 27.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**

17.08.2024

2. केवाला संख्या – 3097, दिनांक – 17.03.1978 की छायाप्रति, कुल – 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. जोधलाल मंडल वो वजीर मंडल वो पुनिया देवी के नाम से आनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. प्लॉट नं0 – 907 के नक्शा की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. वजीर मंडल के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के. द्वारा दिनांक 27.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष को यह जमीन केवाला से प्राप्त है, केवाला (1) बुधन मंडल (2) जोधलाल मंडल (3) बजीर आजाद मंडल तीनों का पेशरान स्व0 धोकल सुजी (4) पुनीया देवी पति – नुनुचन्द महतो के नाम से प्राप्त जमीन है, केवाला कार्तिक भुईयाँ, पिता – स्व0 गिरधारी भुईयाँ के नाम से प्राप्त है। केवाला दिनांक – 17.03.1978 में हुआ केवाला सं0 – 3097 है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उपरोक्त जमीन का जब से प्रथम पक्ष के सदस्य जमीन खरीदे है तब से लगातार जमीन में दखलकार चले आ रहे है, जमीन जो खरीदे है, वह जमीन मौजा – कपिलो , थाना नं0 – 78, तौजी नं0 – 28, खेवट नं0 – 01 के अंतर्गत खाता नं0 – 59, प्लॉट नं0 – 907, रकबा – 25 डी0 मधे 07 डी0 चौहदी उ0 – सड़क, द0 – भीखन सिंह, पु0 – मथुरा यादव, प0 – जगदीश भुईयाँ।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि उपरोक्त जमीन का प्रथम पक्ष दाखिल – खारिज करवाकर राजस्व रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। जो अंचल कार्यालय सरिया के जमाबंदी जोधलाल मंडल वो वजीर मंडल पुनिया देवी के नाम पर दर्ज है। जो पंजी 2 के भोलुम नं0 – 04, पेज नं0 – 142 में दर्ज है राजस्व रसीद वर्ष 2024 तक निर्गत है। रसीद जिसका रसीद संख्या – 0759601829 है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु अपने दावे के समर्थन में कोई लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का ज्ञापांक – 1154, **दिनांक – 14.06.2024, कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1**

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
कपिलो	**59**	**907**	**25 डी0 मधे 07 डी0**	**उ0– सड़क, द0– भीखन सिंह, पु0– मथुरा यादव, प0– जगदीश भुईयाँ।**

2. प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत केवाला से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 59, रैयती खाता की भूमि है, जो SC/ST के अंतर्गत आते हैं।

17.08.2024

3. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या – 04, पृष्ठ संख्या – 142 पर जोधलाल मंडल वगै0 के नाम पर कायम है, तथा वर्ष 2024–25 तक लगान रसीद निर्गत है।

4. द्वित्तीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई भी राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

चुँकि यह भूमि SC/ST खाता की भूमि है जो CNT Act के अनुसार संचालित होती है, जिसके संबंध में निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.08.2024   17.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी   अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।   बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.02 16:58:14 +05:30
Location: 192.168.167.238